राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

कमांकः–37(12)पराविं/प्रशा2./मंत्रा/शिक्षा/प्रतिनि./नागौर/22/521 जयपुर दिनांक 11/03/2022

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखा गया है कि जिला परिषद/पंचायत समितियों के अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से पंचायती राज विभाग (मुख्यालय) की अनुमति प्राप्त किये बिना ही कर्मचारियों/अधिकारियों को अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यमुक्त कर दिया जाता है जो कि प्रशासनिक दृष्टि उचित नहीं है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों का अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/कार्यव्यवस्थार्थ कार्यमुक्त करने से पूर्व विभागीय मुख्यालय की अनुमति लिया जाना अनिवार्य है। यदि किसी अधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग (मुख्यालय) की अनुमति के बिना अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/कार्यव्यवस्थार्थ कार्यमुक्त किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी को जिम्मेदार माना जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेंगी।

अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों में पंचायती राज विभाग (मुख्यालय) की अनुमति लिया जाना सुनिश्चित करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(डॉ.घनश्यामं)
निदेशक

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपंरावि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, ग्राविपंरावि जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय, पंचायती राज विभाग जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पंचायती राज विभाग जयपुर।
7. उपायुक्त एवं शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय पंचायती राज विभाग जयपुर।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. अति/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त
11. रक्षित पत्रावली।

11/3/22

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव–I